UPHR010048912026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2335/2026

हारिस उर्फ मो० हारिश पुत्र कासिम रजा खान निवासी मोहल्ला वाजिदखेल कस्बा व थाना शाहाबाद जिला हरदोई----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार----------विपक्षी।

दिनांकः 29.07.2026

1– यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त हारिस उर्फ मो० हारिश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–200/2026 अन्तर्गत धारा–310(2), 352, 351(3), 324(4), 190, 191(2), 193(3) बी०एन०एस० थाना शाहाबाद जनपद हरदोई के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में उसके द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी मुकदमा की मण्डी गेट अल्हापुर इब्नेजई पर न्यू गुप्ता फर्टिलाइजर्स के नाम से फर्म है। उसकी फर्म के पास किराना जनरल स्टोर, जिसके प्रोपराइटर अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, करिश्मा पशु आहार प्रो० कृष्णकान्त श्रीवास्तव व टायर पंचर की दुकान प्रो० उमेश कुमार शर्मा की है। दिनांक 05.04.2026 की सुबह 11.00 बजे लगभग अचानक जाहिर, हारिस व सलमान सिद्दकी उर्फ लकी लगभग 60 व्यक्ति जिसमें लगभग 10 महिलाएँ अज्ञात थी। सभी उपद्रवियों के पास लाठी, डण्डे, सरिया, लोहे के राडे आदि थी। जाहिर, हारिस व सलमान आदि चिल्लाएँ, सभी दुकानों का सामान फेंक दो। सभी उपद्रवियों ने वादी मुकदमा की दुकान के साथ उसके तीन पड़ोसी की दुकानों पर हमला कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ के साथ सभी दुकानों का सामान सड़कों पर फेंकने लगे। वादी मुकदमा एवं सभी

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.29 16:41:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दुकानदारों ने विरोधक प्रयास किया तो तारिक व इमरान ने लोहे की राडों को दिखाते हुए उपद्रवियों से कहा गल्ले से पैसा निकाल लो, तो कुछ उपद्रवियों द्वारा सभी दुकानदारों के व्यापारिक रजिस्ट्रेशन के कागजात आदि उठा लिए। वादी मुकदमा की गुल्लक में लगभग 3,400/–रूपये, किराना जनरल स्टोर की गुल्लक में लगभग 2,000/– रूपये व करिश्मा पशु आहार के लगभग 3,500/– रूपये तारिक व इमरान के इशारे पर उपद्रवियों द्वारा वादी मुकदमा एवं पड़ोसी दुकानों पर लूटपाट करने लगे। शोरगुल सुनकर पड़ोसी दुकानदार जमा होने लगे तो हारिस व जाहिर द्वारा लोगों को ललकारते हुए कहा अगर पास आओगे जान से मार देंगे जिससे लोग भयभीत होकर पीछे हट गये एवं अपनी–अपनी दुकानों पर दुबक गये। तभी अचानक सायरन बजाते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गयी तब सभी उपद्रवी मौके से फरार हो गये। उपरोक्त सभी उपद्रवियों ने एक राय होकर घटना कारित की है।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने शाहाबाद नगर पालिका में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी प्रत्याशी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा समय–समय पर वर्तमान चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था, जिस कारण से उससे चुनावी रंजिश मानते हुए विपक्षी ने गलत तरीके से फंसा दिया है। आवेदक/अभियुक्त ने दिनांक 27.08.2025 को कुछ जमीन व दुकाने मोहल्ला अल्हापुर इब्नेजई निकट गल्ला मण्डी शाहाबाद से खरीदी थी। उपरोक्त प्रापर्टी खरीदने के समय दुकानों पर कई लोग किराएदार थे। आवेदक/अभियुक्त ने सभी किराएदारों को उनका दुकान मालिक बदलने व आवेदक/अभियुक्त को ही मालिक होने के बारे में बताया था तो उस समय वादी मुकदमा व अन्य किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा व अन्य किराएदारों से कई बार दुकानों का किरायानामा लिखवाने हेतु निवेदन किया, किन्तु वे बहाना बनाकर टाल देते थे। आवेदक/अभियुक्त को किराया नहीं दिया। पुलिस द्वारा उप जिलाधिकारी शाहाबाद को प्रेषित रिपोर्ट में लिखा गया है कि दोनों पक्षों में दुकान की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। आवेदक/अभियुक्त घटना की दिनांक व समय पर घटनास्थल पर नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 8 घंटे विलम्ब से अंकित करायी गयी है। उपरोक्त मुकदमे में जो गवाह हैं, वह वादी मुकदमा व आवेदक/अभियुक्त की दुकान पर जबरिया कब्जा किए हुए किराएदार हैं। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रस्तुत घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट आने का उल्लेख नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी है। उसका यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किये गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रूप से लाठी, डंडे व लोहे की रॉड से लैस होकर वादी मुकदमा तथा उसके पड़ोसियों की दुकानों पर हमला करते हुए तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर फेंका गया एवं गल्ले से नकदी व व्यापारिक कागजात आदि की लूट कारित की गयी है। अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.04.2026 की सुबह 11.00 बजे आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लगभग 60 व्यक्ति जिसमें लगभग 10 महिलाएँ अज्ञात तथा सभी उपद्रवियों के पास लाठी, डण्डे, सरिया, लोहे के राडे थीं, के साथ वादी मुकदमा की दुकान के साथ उसके तीन पड़ोसियों की दुकानों पर हमला करके, उनमे तोड़फोड़ करके, दुकानों का सामान सड़क पर फेंक दिया , उनके गल्ले से पैसा निकाल लिए तथा व्यापारिक रजिस्ट्रेशन के कागजात आदि उठा ले गए तथा लूटपाट की गयी। आवेदक/अभियुक्त के कहने पर सह अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित किया जाना कहा गया है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा शोरगुल पर एकत्रित हुए पड़ोसी दुकानदारों को जान से मारने की धमकी देना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मामले में बरामदगी का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। थाने से प्रस्तुत आख्या में आवेदक/अभियुक्त के ऊपर इस प्रकरण के अलावा 04 अन्य मुकदमे भी पंजीकृत हैं।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की प्रकृति व उसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त हारिस उर्फ मो० हारिश की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

दिनांकः 29.07.2026